संख्या 336 /XV-2/01(26)06/2008

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
मत्स्य विभाग
देहरादून, उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 24 मार्च, 2008

विषय– मत्स्य निदेशालय के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति (मत्स्य विभाग का सुदृढीकरण) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–90/वार्षिक योजना/2007–08 दिनांक 16 फरवरी, 2008 के कम में श्री राज्यपाल महोदय मत्स्य निदेशालय के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 130.50 लाख (एक सौ तीस लाख पचास हजार मात्र) पर प्रशासनिक वित्तीय अनुमोदन तथा व्यय हेतु 30.50 लाख (तीस लाख पचास हजार मात्र)की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करते है:–

1. आगणन में उल्लेखित दरों को विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजर भाव से ली गई है; की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
2. काम कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
4. एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि से मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य कराने से पूर्व की भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाये।
7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।
9. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–28 के मानक मद–2405–मछली पालन–00–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान–24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
10. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख का प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 353(P)/XXVII4-07 दिनांक 26 मार्च, 2008 के क्रम में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

संख्या 536 / XV-2/01(26)06/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
4. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. वित्त–4 / नियोजन विभाग।
9. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. परियोजना प्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से

(पी0एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव

2 SO. Budget